<u>न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़</u>

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियाँ आर.ए.एस

अपील सं0 2022/145 (145/2022)

औमप्रकाश पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
–अपीलान्ट

बनाम

1. कुलदीपसिह पुत्र श्री अमर सिह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ .
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

विरूद्व निर्णय दिनांक 05.05.2022

द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

प्र0 संख्या 06/2022 बअनवान कुलदीप सिंह बनाम औमप्रकाश

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री दिनेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2

<u>निर्णय</u> दिनांक – 26.12.2022

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सवं0 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीएक्ट का व प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए का इस आशय का पेश किया कि चक 2 टीएलडब्ल्यू के खाता संख्या 89/65 में कुल 3.036 है0 नहरी मय गैरमुमकिन आराजी में अप्रार्थी सं0 1 का 135/506 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रश्नगत भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पैतृक आराजी है। जिसमें प्रार्थी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 का हक व हिस्सा बनता है। इसलिए चक 2 टीएलडलयू खाता संख्या 89/65 में कुल 3.036 है0 नहरी में अप्रार्थी संख्या 1 के के 135/506 हिस्सा में से प्रार्थी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 का बहिस्सा बरबार 1/2 हक व हिस्सा बनता है लेकिन राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं0 1 के नाम से दर्ज रहने से प्रार्थी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है। प्रार्थी के चाचा औमप्रकाश अपने नाम से दर्ज आराजी को बेचान कर रहा हैं इत्यादि कथन करते हुए अपीलाण्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायलाय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.2022 को अपीलाण्ट के विरूद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफेसला दावा कन्फर्म किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय कानूनन तथ्यों की अनदेखी कर पारित किया गया है। अप्रार्थीगण का प्रश्नगत भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं रहा है ना ही अब वो संयुक्त हिन्दू परिवार में है चूंकि दस्तबरदारी हिन्दू संयुक्त परिवार की सह खातेदारान के मध्य की जा सकती है जसमें प्रार्थी न तो सह खातेदार है और ना ही हिन्दू संयुक्त परिवार में निवास करता है। मुझ अपीलाण्ट की माता, बहन, भाई ने अपने हक हिस्सा की आराजी जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज 27.12.2021 को हक त्याग किया था चूंकि उक्त दस्तावेज पंजीबद्ध दस्तावेज है जिसे सिविलि न्यायलाय में चुनौती दे सकता है परन्तु रेस्पोडेण्ट ने आज तक किसी भी न्यायलाय में उक्त दस्तावेज को निरस्त नहीं करवाया है। परन्तु मातहत अदालत ने इस तथ्य को अनदेखा किया है। मातहत अदालत ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन रेस्पोडेण्ट के पक्ष में मानकर अनदेखी की है। रेस्पोडेण्ट रिकाडेर्ड खतोदार है तथा अपने भूमि का पूर्ण उपयोग व उपभोग करने करने हेतु स्वतंत्र है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में मानकर अहम कानूनी भूल की है। अतःअपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2021 (1) पेज 451 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट का कथन अस्वीकार है कि प्रार्थी व प्रार्थी के पिता द्वारा प्रतिवादीगण का संयुक्त परिवार नही था तथा प्रार्थी के पिता द्वारा अपने हिस्सा की भूमि बेचान के समय प्रार्थी के पिता संयुक्त परिवार में निवास नही करते थे तथा उनके द्वारा अपने कारोबार में आराजी का बेचान किया तथा वाद में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता अमरसिह का कोई हक व हिस्सा नहीं है। यह समस्त कथन दृढतापूर्वक अस्वीकार है। जबकि वास्तव में प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट के पिता परिवार में से बड़े थे तथा प्रार्थी दादा की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थी के पिता श्री अमरसिंह द्वारा संयुक्त परिवार के कर्ता के रूप में अपने समस्त दायित्वों को पूरा किया गया तथा इस संयुक्त परिवार के निवास की जर्जर अवस्था होने कारण संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों की सहमति से संयुक्त परिवार के आवास को ठीक करने तथा परिवार का वंश वृक्ष बनाने के कारण नव निर्माण करवाने हेतु संयुक्त परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि का विक्रय किया गया था। रेस्पोडेण्ट द्वारा वाद पत्र में दस्तावेज दस्तबरारी के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कथन किये हैं कि सहदायिकी संयुक्त हिन्दू परिवार व पैतृक सम्पति में किसीभी हिस्सेदार द्वारा किसी व्यक्ति विशेष में अपना हक बहिस्सा परित्याग नहीं किया जा सकता है और यदि काई ऐसा लिखित विद्यमान है तो हिन्दु विधि के अनुसार यह अवधारण होगी कि हक परित्याग करने वाले व्यक्ति द्वारा अपने समस्त शेष रहे अन्य संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों के मध्य बहिस्सा बराबर परित्याग माना जावेगा। ऐसी स्थिति में दस्तावेज दस्तबरदारी को सिविल न्यायालय में चुनौती दिये जाने व निरस्त करवाये जाने की कोई विधिक आवश्यकता नहीं है। वादि एवं प्रतिवादीगण का परिवार संयुक्त हिन्दू परिवार है तथा उसका अंतिम रूप से निर्णय वाद में साक्ष्य के उपरान्त ही किया जाना है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित किया जाना उचित है।

7. प्रथम दृष्टया मामलाः– अपीलाण्ट की माता, बहन, भाई ने अपने हक हिस्सा की आराजी जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज 27.12.2021 को हक त्याग किया था उक्त दस्तावेज पंजीबद्ध दस्तावेज है जिसे सिविल न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। परन्तु रेसपेडण्ेट ने इस दस्तावेज को निरस्त करवाया है ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है। चूंकि दस्तरबदारी हिन्दू संयुक्त परिवार की सह खातेदारान के मध्य ही की जा सकती है जिसमें रेस्पोडेण्ट न तो सह खतोदार है ना ही हिन्दू संयुक्त परिवार में निवास करता है। प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र के तथ्यों के अनुसार स्पष्ट है कि अपीालाण्ट प्रश्गनत भूमि का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि का अभिलिखित खातेदार होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला अपीलाण्ट के पक्ष में हैं।

8. सुविधा का सन्तुलनः– चूंकि अपीलाण्ट प्रश्गनत भूमि का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है और वह अपनी भूमि का पूर्ण उपयोग उपभोग करने हेु स्वतंत्र है। यदि उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता हैं तो इससे अपीलाण्ट को असुविधा होगी। वह अपनी खातेदारी भूमि का स्वतंत्र उपयोग उपभोग करने से वंचित हो जायेगा। अतः सुविधा का सन्तुलन का बिन्दू भी अपीलाण्ट के पक्ष में है।

9. अपूर्णीय क्षतिः– चूंकि अपीलाण्ट प्रश्गनत भूमि का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। यदि उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। वह अपनी खातेदारी भूमि का स्वतंत्र उपयोग उपभोग करने से वंचित हो जायेगा। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी अपीलाण्ट के पक्ष में है।

10. अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णित किये जाते हैं। अपीलाण्ट अभिलिखित खातेदार काश्तकार है उसके विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जारी किया जाना न्यायोचित नही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.05.2022 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

12. निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

26/12/22

(करतारसिंह पूनियाँ)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ